माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : सूचना/परीक्षा–II/2026/संख्या/91 दिनांक : 01.07.2026

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश दिनांक–15.06.2026 के अतिरिक्त संशोधन प्रकरणों के निस्तारण हेतु छात्र हित में परीक्षार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम/उपनाम में स्पेस, बोर्ड प्रलेखों में समानता, बोर्ड स्तर पर रही त्रुटि व ट्रान्सजेन्डर के संशोधन वर्ष 2025 तक के एक माह की अवधि तक एवं वर्ष 2026 से परीक्षा परिणाम की घोषणा की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक निम्नानुसार किये जायेगे:–

क्र.स.	त्रुटि का विवरण	संशोधित प्रावधान	पत्रावली निस्तारण
01	i. स्पेस हटाना अथवा लगाना।	माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक में संशोधन विद्यालय पत्र, 8वीं की अंकतालिका, SR रजिस्टर, TC व प्रवेश आवेदन पत्र शाला प्रधान से प्रमाणित फोटोप्रति प्रस्तुत करने पर संशोधन किया जायेगा।	सहायक निदेशक परीक्षा–I/द्वितीय–II
	ii. नाम, पिता का नाम, माता का नाम एवं उपनाम में बोर्ड प्रलेखो में भिन्नता होने पर।	माध्यमिक परीक्षा के आधार पर उच्च माध्यमिक परीक्षा में समानता के आधार पर संशोधन विद्यालय पत्र, 8वीं की अंकतालिका, SR (स्कालर रजिस्टर), TC व प्रवेश आवेदन–पत्र शाला प्रधान से प्रमाणित फोटोप्रति प्रस्तुत करने पर संशोधन किया जाये। नोट :– (1) वर्तनी संशोधन होने पर विद्यालय के प्रमाणित फोटो प्रति अभिलेखों के आधार पर संशोधन स्वीकार किया जायेगें। (2) पूरा नाम/उपनाम परिवर्तीत होने पर प्रथम कक्षा से मूल शाला अभिलेख यथा प्रवेश पत्र, SR, TC, 8वीं व 9वीं की अंकतालिकाएं प्रस्तुत करने पर संशोधन किया जायेंगे।	सहायक निदेशक परीक्षा–I/द्वितीय–II बिन्दु संख्या–01 का ii के बिन्दु–(2) के प्रकरण मुख्य परीक्षा नियंत्रक
	iii. वर्तनी, स्पेस एवं नाम, पिता का नाम, माता का नाम/ उपनाम व जन्मतिथि में संशोधन	बोर्ड स्तर पर बोर्ड परीक्षा आवेदन–पत्र की जांच में रही त्रुटि की पुष्टि होने पर संशोधन विद्यालय पत्र एवं प्रमाणित शाला अभिलेखों के आधार पर संशोधन निशुल्क किया जायेगा।	वर्तनी एवं स्पेस सहा0 निदेशक एवं नाम, उपनाम मुख्य परीक्षा नियंत्रक तथा जन्मतिथि सचिव
	iv. ट्रांसजेन्डर के प्रकरणों में संशोधन	सरकार द्वारा दिये गये प्रावधानो के अनुसार संशोधन किया जायेगा।	सचिव

बिन्दु संख्या– 01 के I, ii, iii में अंकित संशोधनों के प्रकरण वर्ष 2025 तक के एक माह की अवधि तक ही स्वीकार किये जायेगें एवं वर्ष 2026 से परीक्षा परिणाम घोषणा की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक के प्रकरण संशोधन हेतु स्वीकार किये जायेगे एवं 01 के बिन्दु IV सरकार द्वारा दिये गये प्रावधानो के अनुसार संशोधन किये जायेगे।

संशोधन शुल्क– 01 के बिन्दु संख्या– iii को छोड कर शेष सभी बिन्दुओं के संशोधन हेतु संशोधन शुल्क रूपये 300/– प्रति त्रुटि (प्रति परीक्षा) पूर्व वर्ष के लिए रूपये 100/– प्रति वर्ष विलम्ब शुल्क लिया जायेगा तथा एक ही नामांक का अधिकतम शुल्क रूपये 3000/– प्रति परीक्षा देय होगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

सचिव

क्रमांक : सूचना/परीक्षा–II/2026 दिनांक :

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय ।
2. निजी सचिव, सचिव, मा.शि.बो., अजमेर।
3. निजी सहायक, विशेषाधिकारी परीक्षा।
4. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार।
5. निजी सहायक, मुख्य परीक्ष नियंत्रक।
6. निजी सहायक, निदेशक–परीक्षा।
7. उप निदेशक परीक्षा–I/परीक्षा–II/गोपनीय।
8. ए.सी.पी.
9. सहायक निदेशक परीक्षा–I
10. सहायक निदेशक परीक्षा–II
11. अनुभाग अधिकारी– समस्त शाखा।
12. रक्षित पत्रावली।

उपनिदेशक परीक्षा–II